न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 155/2008
दायर दिनांक 28.04.20008

निर्णय दिनांक
24.08.21

उनवान

1. मूर्ति मंदिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मंदिर जोहड वाला ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

नाबालिग जरिये सरपरस्त अधिकृत ग्रामीण:–

(अ) मूल चन्द पुत्र मंगतूराम
(ब) श्री कृष्ण अवतार पुत्र जगदीश प्रसाद यादव
(स) देशराज पुत्र सुखदेव यादव
(द) रामनिवास पुत्र रतीराम यादव
(य) शिवनन्दन पुत्र हनुमान सिंह यादव
(र) रूपराम पुत्र गणेशी यादव
(ल) शमशेर सिंह पुत्र सवाई सिंह यादव
(व) चुन्नीलाल पुत्र बिहारीलाल यादव कौम अहीर निवासी ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर दयाल पुत्र भानमल जाति ब्राहम्ण ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम हाल आबाद रामेश्वरम भवन मकान नम्बर 181, आर्य नगर अलवर (राज0)

– (फौत)

[1/1] नरेन्द्र कार
[1/2] तेजस्वी शर्मा पुत्रांन रामेश्वरदयाल
[1/3] चमेली देवी बेवा रामेश्वर दयाल
[1/4] सुनीता शर्मा
[1/5] सुमन शर्मा
[1/6] मन्जू शर्मा
[1/7] निर्मला शर्मा पुत्रीयान रामेश्वर दयाल पुत्र भानमल जाति ब्राहम्ण ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम हाल आबाद रामेश्वरम भवन मकान नम्बर 181, आर्य नगर अलवर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम जिला–अलवर

—:प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाईदवामी
गैर दफा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री बलराम यादव अधिवक्ता वादीगण

वादीगण ने एक वाद मय अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 928/1–00 बीघा, 930/3–06, 931/0–04, 932/0–03, 960/2–00 बीघा वाके ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम में स्थिति है। जिसके साबिक ख0नं0 क्रमशः 895/1–00, 947 मिन/0–01, 953/3–05, 954/0–04, 955/0–03 बीघा से पैमूद हुआ है। विवादित आराजी वादी मूर्ति मंदिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मंदिर जोहड़ वाला ग्राम जौडिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो नाबालिंग है। तथा समस्त ग्रामवासीयान व ग्राम पंचायत जौडिया द्वारा उक्त आराजीयात की बाबत वाद दायर करने एवं मूर्ति मंदिर के हकूको की रक्षार्थ हेतु वादीगण मूलचन्द वगैरा को अधिकृत किया हुआ है तथा उक्त भूमि मूर्ति मंदिर को भी हम वादीगण मूलचन्द वगैरा के पूर्वजो ने ही दी थी तथा हम वादीगण उक्त मंदिर के पूजा अर्चना करते है। हम वादीगण की मंदिर में आस्था है अतः हम अधिकृत व्यक्तियों की ओर से वाद दायर किया है। विवादित आराजी वादी मूर्ति मंदिर को वास्ते भोग खर्च दी थी। जिस मंदिर का पूर्व में पुजारी सूरजा उर्फ सूरजभान चेला छाजू कौम ब्राहम्ण निवासी जौडिया था जो वादी मंदिर की पूजा अर्चना करता था एवं मंदिर व विवादित आराजी की देखरेख मंदिर की ओर से सूरजा किया करता था। विवादित आराजी साबिक ख0नं0 मूर्ति मंदिर वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसका साबिक रिकार्ड में मंदिर के नाम का अंकन रहा है। सूरजा चेला छाजू को बतोर दोहरीदार अंकित किया हुआ है। जिससे साफ जाहिर है कि सूरजा का कोई राईट एवं टाईटल नही था लेकिन सूरजा ने सैटिलमैन्ट विभाग से साज–बाज होकर विवादित आराजी को मूर्ति मंदिर की खातेदारी की आराजी को गैर कानूनी तरीके से खिलाफ मौका व स्थिति रिकार्ड ऑफ राईटस सूरजा ने अपने नाम का अंकने बतौर खातेदार सम्वत 2029 में दौरान सैटिलमैन्ट करा लिया जो अंकन सरीहन गलत हुआ है। उक्त अंकन हकूक वादी मूर्ति मंदिर के विरूद्ध हर सूरत में वादिल व बेअसर है। हम वादीगण हजफ कराकर विवादित आराजी क[illegible]दिर के नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। सूरजा [illegible] हुआ है तथा मृतक सूरजा ने समस्त ग्राम वासियों व सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] के अंकन दिनांक 14.04.1971 को बयान दर्ज कराते हुये लिखा [illegible] जोहड़ वाले मन्दिर की मालिक व देख रेख ग्राम पंचायत जौडिया करती रहेगी एवं समस्त ग्रामवासियान सार सम्भाल करते रहेंगे। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम में आया और दिनांक 20.03.2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

को ऐलानिया तौर पर कहा कि वो विवादित आराजी को मृतक सूरजा के दर्ज है उसको अपने नाम दर्ज कराकर आराजी पर जब्रन कब्जा करेगा एवं वादी मूर्ति मंदिर को बेदखल करेगा। जिससे वाद लाना लाजिम आया। यदि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी सं0 2 से साज बाज होकर अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो अजहद हानि होगी। इसलिए दावा आवश्यक अत्यन्त सेवा का है। इसलिए बिना नोटिस दावा दायर करना लाजिम आया। अतः विवादित आराजीयात में जो सूरजा के नाम का अंकन चला आ रहा है व बादिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादी मूर्ति मंदिर के नाम बैय हैसियत खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि जिम्मन नं0 1 में दर्ज विवादित आराजीयात ग्राम जौडिया सूरजा उर्फ सूरजभान पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी जौडिया की खातेदारी की आराजी है जो मिन प्रतिवादी का सगा चाचा था, और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 जो कि उनका सगा भतीजा है की खातेदारी की आराजी है। सूरजा उर्फ सूरजभान के प्रतिवादी के अलावा कोई वारिस नही है। उक्त आराजीयात से वादी मूर्ति मंदिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मंदिर जोहडवाले का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त भूमि कभी भी मंदिर कब्जे काश्त की भूमि नही थी अपितु सूरजा उर्फ सूरजभान की निजी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी। सूरजभान की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत जौडिया व अन्य ग्रामवासियों ने षडयन्त्र रचकर मिन प्रतिवादी के हकूको को जायल करने की गरज से एक पत्र ग्राम पंचायत जौडिया की और से अंतिम निर्णय दिनांक 28.12.1976 में न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय अलवर ने मृतक सूरजा पुत्र छाजूराम ब्राहम्ण को लावारिस ना मरने के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया और प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर दयाल को मृतक सूरजा का वारिस मान लिया और तभी से मिन प्रतिवादी वादीगण एवं ग्राम पंचायत की आंख की किरकरी बना हुआ है और वरजिदा मिन प्रतिवादी को वेजा जोर वार वो तंग, परेशान करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा दायर किया गया है। उक्त विवादित भूमि के बारे में वादी मूर्ति मंदिर ग्राम पंचायत व दीगर वादीगण का कोई स्टेटस नही है और दावा वादीगण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। विवादित आराजी वादी मूर्ति मंदिर को वास्ते भोग खर्च दी गई हो यह तथ्य गलत दर्ज किया है और यह तथ्य भी वादीगण की बदनीयती को जाहिर करता है कि मंदिर का पूर्व में पुजारी सूरजा उर्फ सूरजभान चेला छाजू वगैरा ब्राहम्ण निवासी जोडिया था जबकि सूरजा उर्फ सूरजभान पुत्र छाजूराम है जो ब्राहम्ण जाति से था और मंदिर में पूजा अर्चना करता था लेकिन वादी मन्दिर का विवादित आराजी से सम्बन्ध व सरोकार नही रहा। वाद पत्र में यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि मृतक सूरजा ने समस्त ग्रामवासियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत जौडिया एवं पंचान की मोजूदगी [illegible] पंचायत के अन्दर दिनांक 06.01.1972 को बयान दर्ज कराते हुए लिखा है कि मेरे मरने के [illegible] ड वाले मंदिर का मालिक देख रेख ग्राम पंचायत जौडिया करती रहेगी और समस्त [illegible] सार सम्भाल करते रहे है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि सूरजा [illegible] की मृत्यु दिनांक 16.04.1971 में ही हो चुकी थी ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की [illegible] ही मृतक सूरजभान की सम्पति हडप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम [illegible]

ने की नीयत से हर्जकारी पर आधारित है और ग्राम पंचायत द्वारा की गई दिनांक .12.1976 को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर ने अपने निर्णय में निरस्त करते हुए मिन प्रतिवादी सं. 1 को मृतक सूरजभान का वारिस मान लिया जो अंतिम निर्णय है एवं ग्राम पंचायत इस निर्णय से जाकर है। दावा गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है इसलिए दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 फौत होने पर प्रार्थना पत्र 022R4CPC प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर संशोधित टाईटल पेश किया गया। वारिसान 1/3 लगा0 1/7 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए एवं वारिसान 1/1 व 1/2 की ओर से श्री संतोष कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद से श्री संतोष गुप्ता ऐड व वारिसान 1/1 व 1/2 उपस्थित नही हुए इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र में मृतक रामेश्वरदयाल के वारिसान की एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण वाद पत्र में तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य में P.W-1, P.W-2, P.W-3 के शपथ पत्र पेश किये गये ।

बहस विद्वांन अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस पेश की। जिसमें अंकित किया कि आराजी हाल खसरा संख्या–928 रकबा 01–00 बीघा, 930 रकबा 02 बीघा स्थित ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर क्रमश 895 रकबा 01 बीघा, 947 मिन रकबा 0–01 बिस्वा, 953 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, 954 रकबा 0–04 बिस्वा, 955 रकबा 0–03 बिस्वा, 958 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम जोडिया से बने है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादी मूर्ति मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहड वाला ग्राम जोडिया की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जो नाबालिग है, तथा समस्त ग्रामवासीयान व ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा उक्त मूर्ति मन्दिर के हकूको की रक्षार्थ वादीगण मूलचन्द वगैरा को पंचायत द्वारा वाद पेश करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। तथा उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर को भी वादीगण मूलचन्द वगैरा के पूर्वजो ने मन्दिर की पूजा अर्चना करने के लिए बतोर दोहलीदार दी थी। उक्त विवादित आराजी के मूर्ति मन्दिर को वास्ते भोग खर्च दी गयी थी, मन्दिर का पूर्व मे पूजारी सूरजा उर्फ सूरजभान चेला छाजू कौम ब्राहम्ण निवासी जोडिया था जो वादी मूर्ति मन्दिर की पूजा–अर्चना करता था एवं मन्दिर व विवादित आराजी की देखरेख मूर्ति की और से सूरजा करता था।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 895, 953, 954, 955, 958, 947 मूर्ति मन्दिर वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसके साबिक रिकार्ड मे मन्दिर का अंकन हो रहा है। तथा सूरजा चेला छाजू को बतोर दोहलीदार अंकित किया हुआ है, जिससे साफ है कि सूरजा का विवादित आराजी को राईट टाईल नही था, वह मात्र पूजारी होने के कारण मन्दिर की पूजा–अर्चना करता और मन्दिर की जमीन की देखरेख करता था। लेकिन सूरजा ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से साज–बाज होकर विवादित आराजी जो मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की आराजी [illegible] कानूनी तरीके से खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड ऑफ राईट सूरजा ने अपना [illegible] बतौर खातेदार सम्वत् 2029 मे दोरान सेटलमेन्ट करा लिया। जो अंकन मूर्ति मन्दिर के हकूको के विरूद्ध बातिल व बेअसर है। जिसकी दुरूस्ती हेतु उक्त [illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रतिवादी रामेश्वर दयाल पुत्र श्री मानमल जाति ब्राहम्ण निवासी जोडिया का था ही ही बल्कि वह सदैव से रामेश्वरम भवन आर्य नगर अलवर में ही निवास करता था, लेकिन उसने एक फ़र्जी तरीके से विवादित आराजी की फर्जी वसीयत के आधार पर अपने नाम का अंकन कराना चाहता है, जबकि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की आराजी थी, जिसके द्वारा मूर्ति मन्दिर के भोग का खर्चा व अन्य खर्चा चलता था। वादीगण द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादी संख्या–1 रामेश्वर को सूचना दी गई, सम्मन नोटिस जारी कर तामिल कराई गई, जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया, जिस जवाब दावा में प्रतिवादी संख्या–1 ने सूरजा उर्फ सूरजभान का भतीजा होना अंकित किया एवं सूरजा उर्फ सूरजभान के कोई वारिसान नही होना भी अंकित किया है। एवं मूर्ति मन्दिर की भूमि होने से भी इन्कार किया गया है। दौराने सुनवाई वाद प्रतिवादी रामेश्वर का भी देहान्त हो गया है। जिस पर उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया, लेकिन बावजूद सूचना रामेश्वर के वारिसान पेश नही होने की वजह से उनके खिलाफ दिनांक 19.06.2018 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

रामेश्वर के जवाब दावा पेश करने के बाद उसके द्वारा भी अदालत ने गैरहाजिर होने की वजह से पूर्व में ही इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी, जिस पर वादीगण की तरफ से गवाह मूलचन्द पी0डब्ल्यु–1 व पी0डब्ल्यु–2 शमशेर पुत्र सवाई व पी0डब्ल्यु–3 के शपथ–पत्र बतोर साक्ष्य पेश किये गये । प्रतिवादी रामेश्वर द्वारा इकतरफा कार्यवाही खुलने का प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन उसके बावजूद भी वह अदालत श्रीमान मे पेश नही हुआ था, जिसके कारण उसका इकतरफा कार्यवाही खुलने का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। अब कोई भी प्रतिवादी की तरफ से पैरवी नही कर रहा है, जिसके कारण दावा एक्सपार्टी बहस हेतु नियत किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2002 पेश की गई जिसमें विवादित आराजी पर सूरजा चेला छाजू ब्राहम्ण को दोहलीदार की हैसियत में दर्ज किया गया है एवं आराजी साबिक खसरा नम्बर 955 रकबा 0–03 बिस्वा में गैरमुमकिन मन्दिर का इन्द्राज अंकित है एवं शेष रकबा मन्दिर के भोग खर्च हेतु सूरजा चेला छाजू को बतोर दोहलीदार अंकित किया है। उसी तरह जमाबन्दी 2011 से 2014 में विवादित आराजी को सूरजा चेला छाजू ब्राहम्ण को दोहलीदार बतोर अंकित किया है; एवं साबिक खसरा नम्बर 954 व 955 में गैरमुमकिन मन्दिर व चाह अंकित किया हुआ है। शेष भूमि मन्दिर के भोग खर्च हेतू दाहेलीदार सूरजा के नाम का अंकन किया गया है, जबकि मालिक मूर्ति मन्दिर को ही बनाया गया है। नक्ल मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है। एवं नक्ल मिसल हकियत सम्बत 2029 पेश की है। एवं नक्ल प्रस्ताव ग्राम पंचायत जोडिया प्रस्ताव संख्या–21 दिनांक 06–1–1972 पेश किया है, जिसमे सरपंच ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा विवादित आराजी मन्दिर व [illegible] र के मन्दिर का पुजारी सूरजाराम पुत्र छाजूराम द्वारा पंचायत को यह [illegible] देना बताया अंकित किया है कि मन्दिर व इमाम मेरे कोई भी [illegible] पंचायत को दे दी जिसका इन्तजाम पंचायत करे, जिस [illegible] के पंच व सरपंच के हस्ताक्षर है। हाल जमाबन्दी 2060 से 63 [illegible] अंकन गलत रूप से सुरजा पुजारी के नाम बतोर खातेदार किया गया है,जिसको दुरुस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा श्रीमान डिप्टी कमीश्नर अलवर के यहा भी एक प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

विवादित आराजी के इन्तकाल मूर्ति मन्दिर श्री कृष्ण मन्दिर के नाम दर्ज कराने का [illegible]ना पत्र पेश किया था जो समस्त ग्रामवासी व पंचायत की और से पेश किया गया, जिसकी फोटो प्रति भी पेश की हुई है। एवं प्रस्ताव ग्राम पंचायत जोडिया जिसके द्वारा मूर्ति मन्दिर की तरफ से समस्त वादीगण को वाद पेश करने हेतु अधिकृत किया है। जिसकी कापी भी पेश की हुई हैं।

ग्राम पंचायत जोडिया द्वारा अपने प्रस्ताव मे दिनांक 06–1–1972 के प्रस्ताव संख्या 0 के द्वारा सरपंच कुंजीलाल द्वारा पंचायत को बताया गया कि सूरजा द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि मेरा कोई वारिस नहीं है अतः मेरे मरने के बाद ग्राम पंचायत जोडिया मन्दिर व मन्दिर के नाम दर्ज भूमि की देखभाल करेगी व कानूनी प्रकिया के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को अधिकृत किया था। उसके बाद दिनांक 25–3 1997 को रामपाल यादव तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जोडिया के समय एक प्रस्ताव पास हुआ कि सूरजा पुजारी के नाम दर्ज भूमि को श्री कृष्ण मन्दिर जोहड वाले के नाम इन्तकाल स्वीकार किया जाता है, जिस प्रस्ताव की कापी भी पेश है, जिसके बाद दिनांक 22–11–2007 को तेजराम यादव सरपंच ग्राम पंचायत जोडिया ने भी सूरजभान पुत्र श्री चेला छाजूराम के नाम जो भूमि रिकार्ड में दर्ज है उसे श्री कृष्ण मन्दिर जोहड वाले के नाम दर्ज करने की सिफारिस की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया। उक्त प्रस्तावो की कॉपी भी वादी द्वारा पेश की हुई है। उक्त समस्त रिकार्ड से यह साबित है कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर श्री कृष्ण मन्दिर जोहड वाले की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जो, नाबालिग है, वं जिसकी देखभाल हेतू सूरजा चेला छाजूराम को बतोर भोग खर्च मन्दिर दी हुई थी, जो मात्र पुजारी होने के कारण उक्त मन्दिर व जमीन की देखभाल करता था। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व सूरजा पुत्र चेला छाजू को बतोर दोहलीदार अंकित किया हुआ था उसे बतोर खातेदार गलत रूप से दर्ज किया गया है। सेटलमेन्ट विभाग का सेटलमेन्ट सू पूर्व की जमाबन्दी के मुताबिक ही इन्द्राज करना चाहिए था लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयो द्वारा गलत रूप से खातेदारी का अंकन कर दिया गया है, जो वादी मन्दिर के हकूको के विरूद्ध बातिल व बेअसर है, जिसे दुरुस्त किया जाकर मूर्ति मन्दिर को बतोर खातेदार दर्ज किया जाना आवयश्क है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम नानगा आदि के वाद मे आर.आर.डी. 2006 पेज 394 मे यह अंकित किया है कि मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमान बाला वक्त वल्द रामचन्दर पुजारी ब्राहम्ण साकिन राजगढ माफी अतियराजवसीय भोग खर्च दर्ज था जिसे उक्त भूमि को मन्दिर माफी की मानते हुये एवं पुजारी को भोग खर्च हेतु दी गयी मानत हुये मन्दिर भूमि मानते हुये अधिनियम की धारा 46 के अनुसार भी मूर्ति मन्दिर के आशवश्त अवयस्क होने के कारण उसकी भूमि पर किसी प्रकार काश्त करने वाले व्यक्ति को खाते[illegible]धिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मूर्ति मन्दिर शाशवत्त अवयस्क है, वह [illegible] सकती। अधिनियम की धारा 5(25) के अनुसार अवयस्क की [illegible] मे मानी जाती है। मन्दिर की भूमि की व्यवस्था पुजारी या व्यवस्था[illegible] है। वह पुजारी स्वयं या किसी व्यक्ति द्वारा मूर्ति मन्दिर की गई काश्त को मूर्ति मन्दिर के लिए अधिनियम की धारा 46 के अधिन उपकृषक की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उपकृष्क का किसी प्रकार खातेदारी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अन्तरित नही हो सकते है। इसी तरह से आर.आर.टी. 2006 पार्ट–2 पेज 1031 व 16 मे भी इसी तरह माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि भूमि का अवैध हस्तान्तरण को अपास्त किया व भूमि दोली दरगाह पीर के नाम दर्ज थी। किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। न तो कोई व्यक्ति मन्दिर दरगाह की भूमि क्रय कर सकता है नाही डिक्री प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी वर्णित है। नामान्तकरण अपास्त किया व भूमि दोली दरगाह पीर के नाम की गई। इस प्रकार आर. आर.टी. 2006 पार्ट–2 पेज 737 मे भी माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा यही प्रतिपादित किया है कि ए.डी.एम. ने पुनः भूमि मन्दिर (दोहलीदार) दर्ज करने हेतु रेफ़रेन्स किया। सम्वत् 2006 मे भूमि मठ के नाम थी, वर्तमान यह प्रार्थीगण के नाम है। मन्दिर शास्वत नाबालिग है। इसका मेनेजर अथवा पुजारी सम्पत्ति के केवल ट्रस्टी है। मन्दिर की भूमि का अन्तरण धारा 46 के प्रावधानो के विपरित है। भूमि का अन्तरण जो कि प्रारम्भ से शून्य है भूमि मन्दिर के नाम की जावे। इसी तरह माननीय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–6–2016 को मूर्ति मन्दिर बनाम सूरजभान निवासी जटियाना के विरूद्ध भी मूर्ति मन्दिर की भूमि को नाबालिग की भूमि मानते हुये उसके पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी इन्द्राज नही दिये जाये। और पुजारी के नाम जो खातेदारी इन्द्राज किये है उन्हे निरस्त कर पुनः मूर्ति मन्दिर जटियाना के नाम किये जाने के आदेश किये है, जिस निर्णय की प्रति भी उक्त वाद मे पेश की हुई है। उक्त दोनो वाद मूर्ति मन्दिर जटियाना बनाम सूरजभान व उक्त वाद मूर्ति मन्दिर बनाम रामेश्वर दोनो मे ही उसी तरह साबिकं रिकार्ड मे पुंजारी बतोर दोहलीदार अंकित थे, जिनका सेटनलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से खातेदारी का अंकन किया है, जो अधिनियम की धारा 46 के अर्न्तगत प्रारम्भ से ही शुन्य है जिसे दुरूस्त किया जाकर मूर्ति के नाम बतोर खातेदार करने के आदेश फरमाये गये है। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में टाईपिंग करते समय पेरा संख्या 5 में पेज नम्बर 4 पर पहली लाईन दिनांक 06.01.1972 को ब्यान दर्ज कराते हुए लिखा है कि जो की सूरजा पुजारी पुत्र छाजूराम द्वारा दिनांक 14.04.1971 को ग्राम पंचायत जौडिया ने अपने ब्यान दर्ज कराये है कि दावा में लिखने की वहज से पेश गवाह हल्फनामा में भी उक्त तारीख का लेखन होगया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन कि दिनांक 06.01.1972 को दुरूस्त करते हुए दिनांक 14.04.1971 को वाद पत्र में अंकन किया जावे। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया और वाद पत्र में दुरूस्त कर दिनांक 14.04.1971 का लाल स्याही से अंकन किया गया।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी हाल खसरा संख्या–928 रकबा 01–00 बीधा, 930 रकबा 03 बीध 06 बिस्वा, 931 रकबा 0–04 बिस्वा, 932 रकबा 0–03 बिस्वा, 960 रकबा [illegible] तहसील कोटकासिम जिला अलवर की बाबत प्रतिवादी संख्या–1 के न[illegible]जो [illegible]न किया गया है उसको कलमजन किया जाकर तमाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती [illegible] जाकर मूर्ति मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहर वाला [illegible] अलवर के नाम का अंकन बतोर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जा[illegible] राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह मूर्ति मन्दिर की विवादित भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार महाजमत मदांलखत पैदा ना करे, नाही किसी प्रकार रहन,बय,लिज,हिबा आदि से मुन्तकिल ना करे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया है। वादी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजीयात मूर्ती मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहड़वाला ग्राम जोड़िया की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जो नाबालिक है एवं समस्त ग्रामवासियान व ग्राम पंचायत जोड़िया द्वारा उक्त मन्दिर के हकूको की रक्षार्थ वादीगण मूलचन्द वगैरा को पंचायत द्वारा वाद पे I करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। उक्त विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर को भी वादीगण मूलचन्द वगैरा के पूर्वजो को मन्दिर की पूजा अर्चना के लिए बतौर दोहलीदार दी थी। मन्दिर का पूर्व में पुजारी सूरजा उर्फ सूरजभान चेला छाजू कोम ब्राह्मण निवासी जोड़िया था। जिसकों साबिक रिकार्ड में मन्दिर के नाम का अंकन हो रहा है तथा सूरजा चेला छाजू को बतौर दोहलीदार अंकित किया हुआ। जिसका साबिक रिकॉर्ड में अंकन हो रहा है। जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि सूरजा को विवादित आराजी को राईट टाईल नहीं था। वह ब्राहमण पुजारी होने के कारण मन्दिर की पूजा अर्चना और मन्दिर की देखरेख करना था लेकिन सूरजा ने सैटलमेन्ट कर्मचारियों से साज–बाज होकर विवादित आराजी जो मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की आराजी थी। गैर कानूनी तरीके से खिलाफ मौका, खिलाफ रिकॉर्ड ऑफ राईट्स सूरजा ने अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार सम्वत् 2029 में दौराने सैटलमैन्ट करा लिया। वादी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में सूरजा उर्फ सूरजभान का भतीजा अंकित किया है और सूरजा उर्फ सूरजभान के वारिस भी नहीं होना अंकित किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2002 का अवलोकन किया गया जिसमें सूंरजा चेला छाजू कोम ब्राह्मण साकिन देह दोहलीदार अंकित है। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में लाल स्याही से अंकन किया गया। हाल जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में सूरजा पुत्र छाजू ब्राहमण साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। सूरजा पुजारी पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण द्वारा लिखा हुआ दिनांक 14.04.1971 का पत्र पेश किया जिसमें अंकित है कि मैं मन्दिर जोहड़वाला का पुजारी हूँ। इस समय में बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं बीमार भी रहता हूँ। यह गद्दी नागा की है। इस गद्दी के नीचे जमीन व मन्दिर है। मैं इस मन्दिर की सभी जमीन व मन्दिर की ईमारत को पंचायत जोड़िया को सम्भलता हूँ। मेरे बाद यह सभी जायदाद पंचायत की रहेगी। इस पर दूसरा पुजारी ग्राम पंचायत तय करेगी। पंचायत जोड़िया द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्रों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। अवलोकन से एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस से वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजात से हम सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

ातः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा र 928/1–00 बीघा, 930/3–06, 931/0–04, 932/0–03, 960/2–00 बीघा वाके ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम में श्री मूर्ति मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहड़वाला जोड़िया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी से सूरजा पुत्र छाजू ब्राजामण साकिन देह खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजक कर मूर्ति मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहड़वाला ग्राम जोड़िया के नाम का अंकन किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.21 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(गंगाधर मीणा)
कोटकासिम (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 155/2008
दायर दिनांक 28.04.20008

निर्णय दिनांक
24.08.21

उनवान

1. मूर्ति मंदिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मंदिर जोहड वाला ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

नाबालिग जरिर्ये सरपरस्त अधिकृत ग्रामीणः–

(अ) मूल चन्द पुत्र मंगतूराम
(ब) श्री कृष्ण अवतार पुत्र जगदीश प्रसाद यादव
(स) देशराज पुत्र सुखदेव यादव
(द) रामनिवास पुत्र रतीराम यादव
(य) शिवनन्दन पुत्र हनुमान सिंह यादव
(र) रूपराम पुत्र गणेशी यादव
(ल) शमशेर सिंह पुत्र सवाई सिंह यादव
(व) चुन्नीलाल पुत्र बिहारीलाल यादव कौम अहीर निवासी ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)

–वादीगण

बनाम

2. रामेश्वर दयाल पुत्र भानमल जाति ब्राहम्ण ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम हाल आबाद रामेश्वरम भवन मकान नम्बर 181, आर्य नगर अलवर (राज0)

– (फौत)

[1/1] नरेन्द्र कार
[1/2] तेजस्वी शर्मा पुत्रांन रामेश्वरदयाल
[1/3] चमेली देवी बेवा रामेश्वर दयाल
[1/4] सुनीता शर्मा
[1/5] सुमन शर्मा
[1/6] मन्जू शर्मा
[1/7] निर्मला शर्मा पुत्रीयान रामेश्वर दयाल ब्राहम्ण ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम हाल आबाद रामेश्वरम भवन मकान नम्बर 181, आर्य नगर अलवर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम जिला–अलवर —:प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाईदवामी
गैर दफा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री बलराम यादव अधिवक्ता वादीगण

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 928/1–00 बीघा, 930/3–06, 931/0–04, 932/0–03, 960/2–00 बीघा वाके ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम में श्री मूर्ति मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहड़वाला जोड़िया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी से सूरजा पुत्र छाजू ब्राह्मण साकिन देह खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर मूर्ति मन्दिर श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मन्दिर जोहड़वाला ग्राम जोड़िया के नाम का अंकन किया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.21 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:05 IST
Reason: SelfAttested